Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चूरू में जोधपुर डिस्कॉम के उपभोक्ता शिकायत अटेन्डेन्ट को 15 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *01 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की चूरू इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये आज शुक्रवार को रामसिंह उपभोक्ता शिकायत अटेन्डेन्ट, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम खण्ड बीदासर, जिला चूरू को 15 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की चूरू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी के मामा के नाम से ढ़ाणी में घरेलू बिजली कनेक्शन करवाने की एवज में आरोपी रामसिंह, उपभोक्ता शिकायत अटेन्डेन्ट, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम खण्ड बीदासर, जिला चूरू द्वारा 15 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी चूरू के **अति. पुलिस अधीक्षक श्री आनन्द प्रकाश स्वामी** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये **रामसिंह** पुत्र श्री प्रभुसिंह निवासी खानपुर, तहसील लॉडनू, जिला नागौर हाल **उपभोक्ता शिकायत अटेन्डेन्ट, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम खण्ड बीदासर, जिला चूरू** को परिवादी से 15 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।